

कार्यालय : जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या : 1329 / (भू0अ0) / न0म0पा0-प्रथम / लखनऊ दिनांक: 05 नवम्बर 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पूर्वाचल एक्सप्रेसवे हेतु जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगज जिला लखनऊ में ग्राम चांद सराय की 0.3672 हे0, बेली की 0.7893 हे0, रसूलपुर आशिकअली की 1.1625 हे0, शहजादेपुर की 0.4587 हे0, आदमपुर नौबस्ता की 0.3158 हे0, शिवलर की 0.4210 हे0, देहरामऊ की 0.3276 हे0, महुराकला की 0.7293 हे0 व पहासा की 0.4124 हे0, कुल 4.9838 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

- 2: परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से पूर्व राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 14-5-2019 को अनुमोदित किया गया था।
- 3: सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार था:-
समिति यह अनुभव करती है कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लोक उद्देश्यों की सेवा करेगा तथा इसका निर्माण न केवल क्षेत्रीय एकीकरण का कार्य करेगा बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए सहायक होगा।
भूमि प्रदान करने वाले काश्तकारों से हुए विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि वे अपनी भूमि परियोजना को देने के लिए सहमत है, यदि भूमि का उचित मुआवजा उन्हें प्रदान किया जाए। ग्रामीण इस बात से भी सहमत है कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लाभदायी होगा।
ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि सर्किल रेट के आधार पर प्रस्तावित मुआवजे बाजाद दर से काफी कम है। इस लिए समिति दृढता से अपने निष्कार्ष के आधार पर सिफारिश करती है कि मुआवजे की दर को विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में बढ़ाया जाना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्र के सर्किल रेट दिसम्बर 2015 से बढ़ाये नहीं गये है और प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2018 में किया जा रहा है।
समिति द्वारा यह भी अनुभव किया गया है कि ग्रामीणों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचने के लिए मुआवजे की दर एक ही क्षेत्र में समान होनी चाहिए और यह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 (बी) में वर्णित भूमि के मूल्य के निर्धारण या अवधरण करने के मापदण्ड के अनुरूप भी होगा।
- 4: समिति की उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में यूपीडा के पत्र सं0 2907/यूपीडा 18/548-(01)-।। (भू-अर्जन), दि0 14-9-2018 में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उपरोक्तानुसार प्रभावित क्षेत्रों के सर्किल रेट पुनरीक्षित किये जाने

के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर एवं निबंधन विभाग/जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार करने पर विचार किया जायेगा।

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 में कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण उल्लिखित किया गया है, जिसके बिन्दु -ख में उल्लेख है कि निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पडोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा।

इसी क्रम में पूर्वाचल एक्सप्रेसवे हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त वर्तमान में इसी परियोजना हेतु अनुसूची में वर्णित अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

5: भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

6: अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित कये जाने वाल क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईगंज	चांद सराय	229	0.0660
				242	0.0300
				251	0.0672
				315	0.0700
				316	0.1160
				585	0.0180
				योग	0.3672
			बेली	553	0.0080
				556	0.0300
				557	0.0048
				583	0.0438
				595	0.0150
				596	0.0180
				597	0.0311
				598	0.0072
				599	0.0040
				603	0.0560
				604	0.0072
				637	0.0240
				638	0.0400
				639	0.0288
				640	0.228
				641	0.1230

				643	0.0024
				644	0.0600
				645	0.0300
				640 / 945	0.0280
				योग	0.7893
			रसूलपुर आशिकअली	420	0.0050
				421	0.0240
				426	0.0010
				458	0.1996
				459	0.0521
				476	0.0210
				477	0.009
				480	0.0072
				481	0.0484
				483	0.0391
				485	0.0014
				486	0.0990
				489	0.0760
				490	0.0670
				491	0.0074
				492	0.0012
				495	0.064
				523	0.0030
				768	0.1824
				784	0.0684
				785	0.0768
				786	0.1085
				490 / 792	0.0010
				योग	1.1625
			शहजादेपुर	76	0.0120
				100	0.0364
				101	0.0347
				102	0.1230
				103	0.0210
				106	0.0176
				113	0.0250
				115	0.0350
				184	0.0930
				187	0.0510

				191	0.0100
				योग	0.4587
			आदमपुर नौबस्ता	18	0.2990
				527	0.0048
				530	0.0120
				योग	0.3158
			शिवलर	1345	0.1230
				1449	0.2980
				योग	0.4210
			देहरामऊ	36	0.2300
				39	0.0976
				योग	0.3276
			महुराकलां	1769	0.2818
				1770	0.4475
				योग	0.7293
			पहासा	3	0.2734
				325	0.1390
				योग	0.4124
				कुल योग	4-9838

- 7: अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।
- 8: अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- 9: अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/कय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :-

उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(मनीष कुमार नाहर)
कलेक्टर, लखनऊ,
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)